संख्या-33/2025/001-348-25-27-3099-84-2025

प्रेषक,

सिद्धाशरण पाण्डेय
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-3 **लखनऊ : दिनांक 30 अप्रैल, 2025**

विषय:- मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद योजित रिट याचिका संख्या-43237/2024 जगपाल बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य मे द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.04.2025 के अनुपालन में भू-प्रतिकर हेतु वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-303/मु0अ0(अनि)/अनिमं-6/यू-3/भू-प्रतिकर/यमुना, दिनांक 08.04.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- अधिशासी अभियन्ता, लोअर खण्ड पूर्वी यमुना नहर, शामली के अन्तर्गत राजवाहा निरपुडा के निर्माण में प्रभावित भू-स्वामियों/कृषकों की भूमि के भुगतान के संबंध में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद योजित रिट याचिका संख्या-43237/2024 जगपाल बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य मे द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.04.2025 के अनुपालन हेतु वित्तीय स्वीकृति रूपये 17,58,888.00 (सत्रह लाख अठ्ठावन हजार आठ सौ अठ्ठासी मात्र) का भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में दिशा निर्देश जारी किए जाने की विधिक बाध्यता है।

अत: रिट याचिका संख्या-43237/2024 जगपाल बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य मे मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.04.2025 के अनुपालन हेतु वित्तीय स्वीकृति रूपये 17,58,888.00 (सत्रह लाख अठ्ठावन हजार आठ सौ अठ्ठासी मात्र) के भुगतान के सम्बन्ध में वित्तीय स्वीकृति निर्गत किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3- नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों -

उक्त भुगतान करने के पूर्व पुन: एक बार भूमि के स्वामित्व के अभिलेखों एवं तत्सम्बन्धी गणनाचक्र का प्रवर्त्त नियमों के प्रकाश में भलीभांति परीक्षण एवं समाधान कर लेने के पश्चात ही भुगतान सही भू-स्वामी को किया जाए। किसी गलत भू-स्वामी को किए गए भुगतान के लिए अथवा एक ही भू-स्वामी को उसी भूमि के लिए एक से अधिक बार नियमों के विरूद्ध भुगतान करने पर यह एक वित्तीय अनियमितता होगी, जिसके कारित होने पर सम्बन्धित समस्त अधिकारी/अभियन्ता/कर्मचारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 17,58,888.00 (सत्रह लाख अठ्ठावन हजार आठ सौ अठ्ठासी मात्र)को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 094 लेखा शीर्षक 4700-06-050-10-16 भू-प्रतिकर मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक-27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
सिद्धाशरण पाण्डेय
संयुक्त सचिव

संख्या एवं दिनांक यथोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- वित्त नियंत्रक, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
3- मुख्य अभियन्ता (बजट), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
4- मुख्य अभियन्ता (अग्रिम नियोजन), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
5- मुख्य अभियन्ता स्तर-1 (पश्चिम), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, मेरठ।
6- मुख्य अभियन्ता (यमुना), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, ओखला, नई दिल्ली।
7- अनु सचिव(लेखा)/आहरण वितरण अधिकारी, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 शासन।
8- कोषाधिकारी, शामली।
9- अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई कार्य मण्डल, सहारनपुर।
10-अधिशासी अभियन्ता, लोअर खण्ड पूर्वी यमुना नहर, शामली।
11- सिंचाई अनुभाग-9
12-वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8
13-वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
14-गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
सिद्धाशरण पाण्डेय
संयुक्त सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in